संख्या ए-20011/4/2020-हिन्दी
भारत सरकार/ Government of India
गृह मंत्रालय / Ministry of Home Affairs
समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार
Directorate of Coordination Police Wireless

खण्ड सं-9 के.स.का परिसर/Block No.9, C.G.O., Complex,
लोधी रोड ,नई दिल्ली -3/Lodhi Road, New Delhi-3
दिनांक/Date:- 05 जनवरी 2026

विषय:- समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर 2025-तिमाही बैठक का कार्यवृत्त।

समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार (मुख्यालय) की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिसम्बर, 2025 तिमाही की बैठक श्री संजय अग्रवाल, निदेशक, समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की अध्यक्षता में दिनांक 18 दिसम्बर, 2025 को अपराह्न 3 बजे सम्मेलन कक्ष (सातवाँ तल) में आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों नें भाग लिया :-

क्र.सं.	नाम व पदनाम	
1	श्री संजय अग्रवाल, निदेशक	अध्यक्ष
2	श्री आर. के. वर्मा, अपर निदेशक (मुख्यालय)	सदस्य
3	श्री घनश्याम, अपर निदेशक (संचालन)	सदस्य
4	श्री नरेश कुमार, संयुक्त निदेशक (प्रशासन)	सदस्य
5	श्री विद्याधर, संयुक्त निदेशक (आईटी, टीई, बीजलेख)	सदस्य
6	श्री एच. एस. श्रीहरि, उप निदेशक	सदस्य
7	श्री हेमंत कुमार, उप निदेशक (समन्वय)	सदस्य
8	श्री राजेश कुमार सिंह, उप निदेशक (प्रशासन व स्टोर)	सदस्य
9	श्री विनय बडथ्वाल, उप निदेशक (कार्यशाला, बीजलेख)	सदस्य
10	श्री रामप्रसाद, उप निदेशक (भू व भवन, सामग्री प्रबंधन)	सदस्य
11	श्री रामकेश मीणा, सहायक निदेशक (प्रशिक्षण)	के.पु.रे.प्र.सं.
12	श्री अभिषेक यादव, सहायक निदेशक (राजभाषा)	सदस्य-सचिव
13	श्री प्रवीन कुमार, कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	राजभाषा अनुभाग

मद संख्या 1. पिछली बैठक की कार्यवृत्त की पुष्टि:- सदस्य सचिव ने अवगत कराया कि मुख्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक दिनांक 26 अगस्त, 2025 को अपराह्न 03 बजे श्री संजय अग्रवाल, निदेशक समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार की अध्यक्षता में सम्मेलन कक्ष में आयोजित हुई थी। बैठक की कार्यवृत्त सभी सदस्यों, मुख्यालय के सभी अनुभागों एवं अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रो को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी गयी थी व सभी सदस्यों ने इसकी पुष्टि की।

मद संख्या 2. पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा:- सदस्य सचिव ने विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के बिंदुओं की अनुपालन रिपोर्ट पढ़कर सुनाई-

क्र.सं.	बैठक में लिया गया निर्णय	अनुवर्ती कार्रवाई
1.	पिछली तिमाही बैठक में सभी अनुभाग प्रमुखों को निदेश दिए गए थे कि वे हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए ओर प्रयास करे जिससे राजभाषा विभाग के तय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।	अधिक्तर अनुभागों के हिंदी पत्राचार में सितम्बर 2025 तिमाही में बढोत्तरी हुई है । सामग्री प्रबंधन, भू व भवन, सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रशासन अनुभाग के हिंदी पत्राचार में सितम्बर 2025 की तिमाही में कमी आई है ।
2.	सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रों को अपने तिमाही रिपोर्ट में हिंदी टिप्पणी के आंकड़े सही से दर्शाने के निदेश दिए गए थे । अध्यक्ष महोदय ने सभी केन्द्रों से पुनः जून 2025 की तिमाही रिपोर्ट मंगवाने के निदेश दिए।	सभी केंद्रों से संशोधित रिपोर्ट प्राप्त हो चुके हैं जिसमें केंद्रों द्वारा हिंदी टिप्पणी के आंकड़े सही से दर्शाये गए हैं ।
3.	वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुपालन में न्यूनतम 30% अधीनस्थ कार्यालयों का राजभाषा निरीक्षण किया जाना ।	निरीक्षण कार्यक्रम का प्रस्ताव ई-आफिस में प्रकियाधीन है ।
4.	अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिए कि नराकास के सदस्यता को सक्रिय करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।	मध्य नराकास कार्यालय से संपर्क किया गाया । उन्के द्वारा सूचित किया गया कि जनवरी-फरवरी 2026 के माह तक दिल्ली स्थित नराकास कार्यालयों का विस्तार किया जायेगा । विस्तार के पश्चात समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार के सबसे पास स्थित नराकास कार्यालय की सदस्यता ग्रहण करने की आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।
5.	सदस्य-सचिव द्वारा सूचित किया गया राजभाषा नियम 1976 के नियम 10(4) के अनुसार जिन कार्यालयों में 80% कार्मिको ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम भारत के राजपत्र में अधिसूचित किये जायेंगे | इसके लिए सभी कार्मिको के हिंदी ज्ञान की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है | अध्यक्ष महोदय ने नियमानुसार कार्रवाई करने के निदेश दिए।	सभी अंतर राज्य पुलिस केंद्रों एवं मुख्यालय के सभी अनुभागों से कार्मिकों के हिंदी ज्ञान की जानकारी मांगी गई है । जिसमें से कुछ केंद्रो व अनुभागों से जानकारी लंबित है । जिसके लिए अनुस्मारक जारी किये जा चुके हैं । इस संबंध में पुरानी फाइलों के पुनरीक्षण पर यह भी पाया गया कि 15 अंतर राज्य पुलिस केंद्र पहले से ही भारत के राजपत्र में अधिसूचित हैं । शेष केंद्रो में से जिन केंद्रो में 80 कार्मिको ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन्हे भारत के राजपत्र में अधिसूचित करने की कार्यवाही की जा रही है ।

6.	प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी सितम्बर 2025 के माह में हिंदी पखवाड़ा का आयोजन ।	हिंदी पखवाड़ा का आयोजन मुख्यालय सहित सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रो पर किया गया । सभी केंद्रो से प्राप्त बिलों का निस्तारण किया जा चुका है एवं भुगतान हेतु लेखा अनुभाग को भेजा जा चुका है ।

उपर्युक्त में से मद संख्या 3 एवं 4 के संबंध में निरीक्षण कार्यक्रम एवं नराकास की सदस्यता के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निदेश दिए गए ।

(कार्रवाई – राजभाषा अनुभाग/मुख्यालय)

मद संख्या 3. <u>निदेशालय की तिमाही रिपोर्ट पर चर्चा</u>:-

निदेशालय के अनुभागों की तिमाही रिपोर्ट से ज्ञात हुआ कि सामग्री प्रबंधन, भू व भवन, सूचना एवं प्रौद्योगिकी एवं प्रशासन अनुभाग के हिंदी पत्राचार में सितम्बर 2025 की तिमाही में काफी कमी आई है । अन्य सभी अनुभागों के हिंदी पत्राचार में जून 2025 की तुलना में सितम्बर 2025 के तिमाही में कोई खास बढ़ोत्तरी नहीं हुई है |

अध्यक्ष महोदय ने सभी अनुभाग प्रमुखों को निदेश दिए कि वे हिंदी पत्राचार को बढ़ाने के लिए और प्रयास करे जिससे राजभाषा विभाग द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके |

(कार्रवाई – सभी अनुभाग प्रभारी , मुख्यालय)

मद संख्या 4. <u>अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रो की तिमाही रिपोर्ट की समीक्षा</u>:-

'क' क्षेत्र के सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रो के सितम्बर 2025 की तिमाही रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि देहरादून एवं जयपुर केंद्र का हिंदी पत्राचार केवल 70% एवं 68% रहा जो तय लक्ष्य (100%) से बहुत कम है । इसके साथ ही रायपुर केंद्र का हिंदी टिप्पणियों का प्रतिशत केवल 2.43% रहा जो स्वीकार्य नहीं है ।

'ख' क्षेत्र में दमन केंद्र को हिंदी पत्राचार बढ़ाने के निदेश दिए गए । 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के सितम्बर 2025 की तिमाही रिपोर्ट में पाया गया कि इम्फाल एवं कवरत्ती केंद्रो के 'ग' क्षेत्र में हिंदी पत्राचार क्रमशः 13.79% एवं 09.09% रहा जो तय लक्ष्य से बहुत कम है ।

सभी संबंधित केंद्रो को हिंदी पत्राचार एवं टिप्पणियों को बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने के लिए निदेश दिए गए ।

(कार्रवाई – सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्र)

मद संख्या 5. <u>वार्षिक गृह पत्रिका का प्रकाशन</u>:

सदस्य सचिव ने समन्वय निदेशालय, पुलिस बेतार द्वारा वार्षिक गृह पत्रिका प्रकाशित किए जाने का प्रस्ताव सब के सामने रखा। पत्रिका पूर्णतः हिन्दी में होगी तथा इसमें विभागीय लेख, रचनाएँ, उपलब्धियाँ, राजभाषा प्रगति, वरिष्ठ अधिकारियों के संदेश, तथा कार्यालय से संबंधित सामग्री सम्मिलित की जाएगी। साथ ही पत्रिका को आवश्यकता अनुसार राजभाषा विभाग के e-Patrika वेबसाइट पर भी अपलोड किया जा सकेगा, जिससे इसका व्यापक प्रसार और दृष्यता बढ़ेगी।

इस संदर्भ में पत्रिका के प्रकाशन के लिए एक समिति के गठन के निदेश दिए गए जो पत्रिका से संबंधित सभी कार्य जैसे, प्राप्त लेखों/रचनाओं की छँटनी एवं चयन (Shortlisting), टाइपिंग, संपादन एवं प्रूफरीडिंग आदि देखेगी ।

(कार्रवाई – राजभाषा अनुभाग, मुख्यालय)

मद संख्या 6. <u>टिप्पण आलेखन हिंदी में करने हेतु वार्षिक प्रोत्साहन योजना (वर्ष 2024-25)</u>-

सदस्य सचिव ने सूचित किया कि सरकारी कामकाज में मूल रूप में हिंदी में कार्य करने हेतु टिप्पण आलेखन प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कार निर्धारण के लिए समिति का गठन किया जा चुका है। जल्द ही पुरस्कारों का निर्धारण कर दिया जाएगा।

(कार्रवाई – राजभाषा अनुभाग, मुख्यालय)

मद संख्या 7. <u>हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को व्यक्तिशः आदेश जारी करनाः</u>

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अंतर्गत हिंदी में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों को प्रतिवर्ष व्यक्तिशः आदेश जारी किये जाने अनिवार्य है जिसके लिए सभी अनुभागों एवं अंतर राज्य पुलिस बेतार केंद्रो से आंकड़े मंगवाए जा रहे हैं ।

इस संदर्भ में प्रवीणता प्राप्त कार्मिकों की सूची बना कर निदेशक महोदय के समक्ष प्रस्तुत करने के निदेश दिए गए ।

(कार्रवाई – राजभाषा अनुभाग, मुख्यालय)

मद संख्या 8. <u>राजभाषा शील्ड योजना का कार्यान्वयन (2025–26 से):</u>

राजभाषा विभाग के दिशानिर्देश अनुसार हिंदी में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले कार्यालयों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वार्षिक राजभाषा शील्ड प्रदान किए जा सकते हैं । सदस्य सचिव ने सभी उपस्थित सदस्यों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि प्रत्येक भाषायी क्षेत्र 'क', 'ख' एवं 'ग' तथा दिल्ली स्थित अनुभागों/कार्यालयों के लिए एक-एक शील्ड (कुल चार शील्ड) प्रदान किए जा सकते हैं । योजना की अवधि वित्तीय वर्ष होगी ।

सभी सदस्यों की सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि समन्वय निदेशालय पुलिस बेतार में राजभाषा शील्ड योजना वर्ष 2025-26 (1 अप्रैल, 2025 से 31 मार्च, 2026 तक) से लागू की जायेगी । एवं प्रत्येक भाषायी क्षेत्र 'क', 'ख' एवं 'ग' तथा दिल्ली स्थित अनुभागों/कार्यालयों के लिए एक-एक शील्ड (कुल चार शील्ड) प्रदान किए जायेंगे । पुरस्कारों के निर्धारण के लिए राजभाषा विभाग के दिशानिर्देश अनुसार मापदण्ड़ का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु राजभाषा अनुभाग द्वारा तैयार किया जायेगा । पुरस्कारों का निर्धारण निदेशालय में गठित समिति द्वारा किया जायेगा ।

(कार्रवाई – राजभाषा अनुभाग, मुख्यालय)

मद संख्या 9. <u>शत-प्रतिशत हिंदी कार्य हेतु अनुभागों को विनिर्दिष्ट करनाः</u>

राजभाषा विभाग के वार्षिक कार्यक्रम 2025-26 के अनुसार 'क' क्षेत्र के प्रत्येक कार्यलयों के विभिन्न अनुभागों में से न्यूनतम 45% अनुभागों को शत-प्रतिशत हिंदी में कार्य करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाना अनिवार्य है ।

अध्यक्ष महोदय ने निदेश दिया कि कार्यालय के चयनित अनुभागों को चरणबद्ध रूप से शत-प्रतिशत कार्य हिंदी में करने हेतु विनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिससे राजभाषा के प्रयोग में निरंतर वृद्धि एवं प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

(कार्रवाई – राजभाषा अनुभाग, मुख्यालय)

अंत में अध्यक्ष महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद करते हुए बैठक को समाप्त करने की घोषणा की।

अभिषेक यादव
05/01/2026
(अभिषेक यादव)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिः-

1. मुख्यालय के समस्त अनुभाग / सभी अंतर राज्य पुलिस बेतार केन्द्र / सभी संबंधित अधिकारी को वेबसाइट के माध्यम से ।